न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 16 / 2025

जीसीएमएस : 2025 / 161

01. अनु पत्नी श्री राजूराम जाति जाट साकिन 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:प्रार्थी

बनाम

1. पतराम पुत्र श्री गालूराम जाति जाट साकिन 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:— 01.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री राजाराम धारणियां प्रार्थी अधि.।
2. श्री अनिल भाम्भू अप्रार्थी अधि.।

--निर्णय-- दिनांक:— 14.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 29 पं.नं. 204 / 277 के किला नं. 1—10—11—20 व 21 प्रत्येक 0.253 है. नहरी कुल 1.265 है. नहरी भूमि व मु.नं. 30 पं.नं. 205 / 277 के किला नं. 11 / 7 में 0.0150 है. नहरी व 12 / 1, 13 / 2, 14 / 1 प्रत्येक में 0.019 है. नहरी व 15 / 5 में 0. 019 है. बारानी इस प्रकार कुल 0.091 है. नहरी बारानी भूमि इस प्रकार तादादी 1.356 है. नहरी बारानी भूमि है इसी चक 70 आरबी तहसील रायसिंहगर के खाता सं. 41 / 9 मु.नं. 30 पं.नं. 205 / 277 में 2.449 है. नहरी बारानी मय खाला भूमि व मु.नं. 41 पं.नं. 208 / 278 की 1.139 है. नहरी कुल तादादी 3.588 है. नहरी बारानी मय खाला भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है प्रार्थीया की भूमि चक 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 29 पं.नं. 204 / 277 के कि. नं. 1—10—11—20—21 में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 पतराम की कृषि भूमि चक 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 30 प.नं. 205 / 277 के कि.नं. 11 ता 15 के दक्षिण में किला नं. 11 / 0.015, 12 / 0.025, 13 / 0.025, 14 / 0.025, 15 / 0.025, कुल 0.115 है. रकबा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है जो रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे क्योकि यही रास्ता प्रार्थीया के लिए सुविधाजनक एवं सरल है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक एवं सरल तथा सीधा रास्ता नहीं है तथा इस स्वीकृत किए जाने वाले रास्ता से प्रार्थीया के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं को व अन्य काश्तकारान को भी अपने रकबा में आवागमन के लिए सुविधा होगी। अत: चक 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 30 पं.नं. 205 / 277 के कि.नं. 11 ता 15 के दक्षिण में कि.नं. 11 / 0. 015, 12 / 0.025, 13 / 0.025, 14 / 0.025, 15 / 0.025, कुल 0.115 है. रकबा में रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे रास्ता में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 को अपनी खातेदारी [illegible] मु.नं. 30 पं.नं. 205 / 277 के कि.नं. 11 / 7 की 0.015, 12 / [illegible] 13 / 2 की 0.019 है. 14 / 1 की 0.019, 15 / 5 की 0.019 [illegible] के लिए सहमत हूँ उक्त रास्ता स्वीकृत किए जाने वाले [illegible] प्रार्थीया को पूर्णतया आवश्यकता है जो रास्ता स्वीकार फरमाया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra

Date: 2025.05.22 12:29:15 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री अनिल भाम्भू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। इसी के साथ ही प्रार्थीया एवं अप्रार्थी ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य हुऐ राजीनामा व सहमति के आधार पर वाके चक 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 30 के कि.नं. 11/0.009, 12 ता 15 प्रत्येक में 0.025 है. कुल 0.109 है. दक्षिणी पासा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे और उक्त 0.109 है. रास्ता की भूमि के बदले वाके चक 70 आरबी के मु.नं. 30 के कि.नं. 11/7 की 0.015, 12/1 की 0.019, 13/2 की 0.019 है., 14/1 की 0.019, 15/5 की 0.019 कुल 0.091 है. खातेदारी भूमि अप्रार्थी पतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। राजीनामा दिनांक 09.05.2025 को तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

3. प्रार्थीया एवं अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 09.05.2025 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 70 आरबी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 30 के कि.नं. 11/0.009, 12 ता 15 प्रत्येक में 0.025 है. कुल 0.109 है. दक्षिणी पासा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीया की भूमि वाके चक 70 आरबी के मु.नं. 30 के कि.नं. 11/7 की 0.015, 12/1 की 0.019, 13/2 की 0.019 है., 14/1 की 0.019, 15/5 की 0.019 कुल 0.091 है. खातेदारी भूमि अप्रार्थी पतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। उक्त गैरमुमकिन रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 12:29:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner